Dr. Honey Sinha
Assistant professor
Dept. of Commerce
Sub: Auditing
B. Com part - 1st
SNSRKS College Saharsa

(1)

Introduction :- Importance of Valuation
(मूल्यांकन का महत्व)

मूल्यांकन, सत्यापन (Verification) का आधार होता है। अंकेक्षण सत्यापन के द्वारा अपने प्रतिवेदन (Report) में यह स्थापित करता है कि चिट्ठा में दिखायी गई सम्पत्तियाँ व दायित्व व्यवसाय (संस्था) में यह स्थापित को प्रदर्शित करते हैं। यदि सम्पत्तियों व दायित्वों का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता है तो इससे जहाँ आर्थिक चिट्ठा प्रभावित होता है, वहीं लाभ हानि खाता भी प्रभावित होता है। सम्पत्तियों का अधिक मूल्यांकन से लाभ बढ़ता है तथा अंशधारियों को अधिक मात्रा में लाभांश बाँटा जाता है, जिससे पूँजीक्षरण की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी ओर, सम्पत्तियों का कम मूल्यांकन से जहाँ लाभ की मात्रा घटती है, वहीं अंशधारियों को कम लाभांश प्राप्त होता है। हाँ, सम्पत्तियों का कम मूल्यांकन कर गुप्त संचय का सृजन किया जा सकता है; और जिसके आधार पर प्रबंधन के द्वारा धन के दुरुपयोग की सम्भावना बढ़ जाती है। इसी प्रकार दायित्वों को कम दिखाकर लाभ की मात्रा घटाई जा सकती है और जिसका शिकार अंशधारी होते हैं।

अंकेक्षक मूल्यांकनकर्ता नहीं है, फिर भी वह अवश्य देखता है कि चिट्ठे में दिखायी गयी विभिन्न

सम्पतियों व दायित्वों का सही ढंग से मूल्यांकन किया गया है। एक अंकेक्षक को सम्पतियों का मूल्यांकन करने का नतो आवश्यक ज्ञान होता है और न इस सम्बन्ध में उसे अनुभव ही होता है, फिर भी वह इन मदों के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरे शब्दो में, अंकेक्षक का सम्पतियों के मूल्यांकन से घनिष्ट सम्बन्ध होता है। यह आवश्यक नही कि जिस तिथि को जिस मूल्य पर सम्पतियाँ आधिक चिट्ठा में दिखायी गयी है उन्हे बेचकर उसे प्राप्त किया जा सके। हाँ, अंकेक्षक को मूल्यांकन के सम्बन्ध में केवल यह देखना होता है कि मूल्यांकन का कार्य सिद्धांत का अनुपालन करके किया जाता है।

(1) अंकेक्षक मूल्यांकन नही है (Auditor is not Valuer) वस्तुत: अंकेक्षक मूल्यांकन करने वाला कोई विशेषज्ञ नही होता है। व्यवसाय के प्रबन्धको का होता है जो सम्पतियों व दायित्वों के सम्बन्ध में विशेष जानकारी रखते है। अंकेक्षक तो उनके द्वारा किये गये मूल्यांकन की सत्यता, वास्तविकता एव नियमानुकूलता की जाँच करता है।

(2) मूल्यांकन के नियमो की जाँच (Examination of accepted Commercial) :- अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि सम्पतियों व दायित्वो के मूल्यांकन के सम्बन्ध में नियमों व परिनियमों को ध्यान में रखा गया है या नही। अंकेक्षक मूल्यांकन के नियमो की जाँच करके मूल्य की सत्यता एवं औचित्य को

स्पष्ट कर सकता है।

(3) तकनीकी व्यक्तियों से सूचनाएँ लेना (Collection of Informations from Technical persons) :— सम्पत्तियों के मूल्यांकन की जाँच करते समय यदि कोई तकनीकी समस्या सामने आ जाये तो अंकेक्षक को चाहिए कि इस सम्बन्ध में वह तकनीकी व्यक्तियों से परामर्श कर ले।

(4) मूल्यांकन के औचित्य की जाँच (Examination of fairness of Valuation) :— अंकेक्षक मूल्यांकनदाता नहीं है किन्तु मूल्यांकन से उसका घनिष्ट सम्बन्ध होता है। यह मान्य है कि मूल्यांकन का कार्य प्रबन्धकों व विशेषज्ञों का होता है, अंकेक्षक का नहीं।

(5) मूल्यांकन के सम्बन्ध में न्यायधीशों के निर्णयों को देखना (To see the Decisions of the Judge regarding Valuation) :— मूल्यांकन जाँच करते समय अंकेक्षक को यह भी देखना चाहिए की जिस सम्पत्ति के मूल्यांकन कि वह जाँच कर रहा है, उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय न्यायालय द्वारा तो नहीं दिया गया है, अगर दिया गया है तो क्या सम्बन्धित सम्पत्ति की दशा में उस निर्णय का मूल्यांकन का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।

The end

Dr. Honey Sinha
Assistant Professor
Dept. of Commerce
SNSRKS College Saharsa